

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./2010

जयपुर, दिनांक:

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,  
समस्त राजस्थान।

विषय: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यों के स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिन ग्राम पंचायतों में कार्यकारी विभागों (Line Departments)के कार्य पर्याप्त मात्रा में स्वीकृत हो चुके हैं वहां ग्राम पंचायतों को कार्यकारी एजेन्सी बनाते हुए अन्य कोई कार्य स्वीकृत नहीं करें, ताकि अन्य कार्यकारी विभागों को श्रमिक नियोजन में कठिनाई नहीं आवे। साथ ही जो कार्य पूर्व में स्वीकृत हो चुके हैं उन कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने का प्रयास किया जावे।

भवदीय,

13.11.10  
(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ईजीएस